



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 59 वर्ष 2026

रामवीर सिंह

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 3 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : भीम सेन पाण्डेय, कार्तिकेय पाण्डेय

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, मानवेंद्र सिंह

कक्ष में

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती गरिमा प्रसाद,

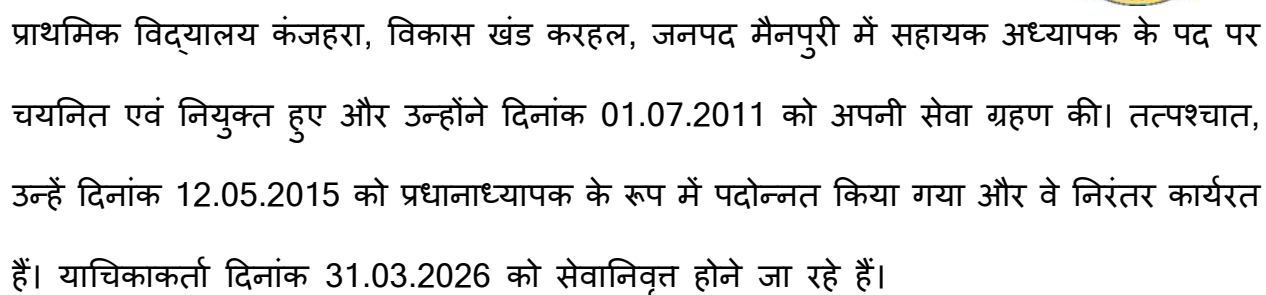
1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री भीम सेन पाण्डेय, राज्य प्रत्यर्थीगण के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनोज श्रीवास्तव तथा प्रत्यर्थी संख्या 2 एवं 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री मानवेंद्र सिंह को सुना।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित मुख्य अनुतोष की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत की गई है:

“परमादेश की प्रकृति में रिट, आदेश या निर्देश जारी करते हुए प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाए कि वे याचिकाकर्ता की सैन्य सेवा की गणना करें तथा उसे वर्तमान सेवा के साथ जोड़कर सिविल सेवा विनियम 526 के अंतर्गत वेतन निर्धारण करें और समस्त परिणामी लाभों सहित पेंशन संबंधी लाभ प्रदान करें।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को दिनांक 18.12.1984 को भारतीय सेना में सिपाही के रूप में नियुक्त किया गया तथा उन्होंने 31.12.2001 तक सैन्य सेवा की, अर्थात् 17 वर्ष 14 दिन की अवधि तक कार्य किया। याचिकाकर्ता दिनांक 31.12.2001 को टी.एस. नायक के पद से सेवानिवृत्त हुए। याचिकाकर्ता ने वर्ष 2004 में प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रमाणपत्र पूर्ण किया तथा तत्पश्चात दिनांक 25.06.2011 के आदेश के माध्यम से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पूर्व सेवा को सम्मिलित किए जाने, सिविल सेवा विनियम 527 के अंतर्गत वेतन निर्धारण तथा पेंशन संबंधी लाभ प्रदान किए जाने हेतु अनेक शासनादेश जारी किए गए हैं। दिनांक 26.08.1977, 26.03.1980, 18.11.1982, 18.05.1983, 11.02.1987, 05.06.1999 तथा 30.04.2019 के शासनादेश राज्य की उस नीति को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं, जिसके अंतर्गत पूर्व सेवा को सम्मिलित कर तदनुसार वेतन निर्धारण किया जाना है।

7. प्रत्यर्थागण के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता की पात्रता विवादित नहीं है तथा राज्य सरकार द्वारा जारी शासनादेशों में पूर्व सेवा को सम्मिलित किए जाने का अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रावधान है, जिससे सिविल सेवा विनियम 527 के अंतर्गत वेतन निर्धारण कर पेंशन संबंधी लाभ प्रदान किए जा सकते हैं। तथापि यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के प्रकरण की संस्तुति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा सक्षम प्राधिकारी को पूर्व में ही कर दी गई है तथा निर्णय अपेक्षित है।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करने तथा इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि याचिकाकर्ता की पात्रता विवादित नहीं है, यह न्यायालय पाता है कि विवादित मुद्दा उपर्युक्त उल्लिखित इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा पूर्व में ही निराकृत किया जा चुका है। याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति के निकट है, और उसकी सेवा संबंधी लाभों के निर्धारण में किसी भी प्रकार की देरी से उसके पेंशन संबंधी देयों के निर्धारण एवं निर्गमन में प्रत्यक्ष रूप से विलंब होगा।

9. जब याचिकाकर्ता की पात्रता विवादित नहीं है और विधिक स्थिति स्थापित हो चुकी है, तब प्राधिकरण इस आधार पर प्रकरण को लंबित नहीं रख सकते कि किसी अन्य प्रकरण में अनुमोदन अपेक्षित है। प्रशासनिक लंबितता अथवा आंतरिक पत्राचार को याचिकाकर्ता के विधिसम्मत अधिकार को विफल करने अथवा उसमें विलंब करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

10. यह विधि द्वारा सुव्यवस्थित है कि सेवानिवृत्ति लाभ कोई अनुग्रह नहीं बल्कि कर्मचारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के लिए अर्जित अधिकार है, तथा प्राधिकरणों का यह दायित्व है कि ऐसे लाभों का समयबद्ध निर्धारण एवं निर्गमन सुनिश्चित करें। सेवानिवृत्ति के समय सेवा लाभों के निर्धारण में विलंब से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी को गंभीर क्षति होती है, जिसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

11. वर्तमान प्रकरण के तथ्यों में, अतः यह आवश्यक है कि ऐसा निर्देश जारी किया जाए जिससे याचिकाकर्ता के सेवा अभिलेखों को अंतिम रूप प्रदान किया जा सके तथा उसके वेतन निर्धारण एवं पेंशन संबंधी लाभों का निर्धारण बिना किसी और विलंब के किया जा सके, विशेषकर जब याचिकाकर्ता सेवानिवृत्ति के निकट है।

12. तदनुसार, रिट याचिका स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थीगण को निर्देशित किया जाता है कि वे याचिकाकर्ता की सैन्य सेवा की गणना करें तथा सिविल सेवा विनियम 526/527 एवं लागू शासनादेशों के अनुसार वेतन निर्धारण करें और तत्पश्चात याचिकाकर्ता के पेंशन संबंधी एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभों का, यदि देय हो, निर्धारण करें।

13. उपर्युक्त कार्यवाही तत्काल पूर्ण की जाए तथा किसी भी स्थिति में इस आदेश की प्रमाणित प्रति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जाने की तिथि से आठ सप्ताह की अवधि के अंतर्गत अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पूर्ण कर ली जाए, ताकि प्रशासनिक निष्क्रियता के कारण याचिकाकर्ता के सेवानिवृत्ति देयों में विलंब न हो।

(न्यायमूर्ति गरिमा प्रसाद)

19 मार्च, 2026

कुलदीप

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।